प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 26.04.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही........**
- **एसटीएफ टीम के साथ थाना गजनेर पुलिस द्वारा 50 हजार के पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना गजनेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 128/2017 धारा 3(1) यूपी0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त पर पुरस्कार घोषित किया गया था।**

कृपया सादर अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम, खुलासे, वांछित एंव पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना गजनेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 128/2017 धारा 3(1) यूपी0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त सन्दीप पासी उर्फ इब्राहिम उर्फ इमरान पुत्र विनोद कुमार उर्फ टिकई मूल पता खजूर गाँव थाना लालगंज जनपद रायबरेली हाल पता ग्राम दरवेशाबाद थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर द्वारा अपराधी के पुरस्कार की धनराशि 25,000 रु0 से बढ़ाकर 50,000 रु0 घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 26.04.2025 को एसटीएफ टीम द्वारा थाना गजनेर पुलिस के साथ कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर 50 हजार के पुरस्कार घोषित अपराधी सन्दीप पासी पुत्र विनोद कुमार उर्फ टिकई निवासी खजूर गाँव थाना लालगंज जनपद रायबरेली उम्र करीब 35 वर्ष कल दिनांक 26.04.2025 को समय करीब 21.40 बजे जिठरौली तिराहे पर बने प्रतीक्षालय थाना क्षेत्र गजनेर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

सन्दीप पासी उर्फ इब्राहिम उर्फ इमरान पुत्र विनोद कुमार उर्फ टिकई मूल पता खजूर गाँव थाना लालगंज जनपद रायबरेली हाल पता ग्राम दरवेशाबाद थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष।

पूछताछ विवरण अभियुक्त--- अभियुक्त सन्दीप कुमार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने साथी 1.सुशील कुमार गुप्ता पुत्र बरातीलाल निवासी 101/325 S-ब्लाक किदवई नगर कानपुर नगर 2.अल्ताफ

पुत्र रामस्वरूप निवासी मल्लावां थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी 3.छोटे गौतम उर्फ नन्दकिशोर पुत्र रामऔतार कुरील निवासी बैरी सवाई थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 4. सुशील गौतम पुत्र बाबूराम निवासी चौराई थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर आदि के साथ शराब की तस्करी करता था जिसमें मेरे साथी और मैं पकड़े गये थे, जिसमें हम लोग जेल भी गये थे। जेल से जमानत पर छूटने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर गैंगेस्टर का मुकदमा लिखा गया है तभी से मैं अपने मूल पता ग्राम खजूरगाँव से निकल कर भिन्न भिन्न स्थानों पर छुपते-छुपाते रह रहा था तथा लगभग 07-08 वर्ष से मैं ग्राम दरवेशाबाद थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर में सहीदुनिशा नाम की औरत से शादी करके अपनी पहचान छुपाने की नियत से अपना नाम इब्राहिम उर्फ इमरान रख लिया और सब्जी बेचने का काम करने लगा ताकि मैं गिरफ्तारी से बचा रहूँ। परन्तु जब मैं कल दिनांक 26.04.2025 को अपने साथियो से मिलने के लिए गजनेर आया था तब पकड़ा गया।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 128/2017 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 334/2016 धारा 420/467/468/471/272/273 भा0द0वि0 व 60(2)/72 आबकारी अधिनियम व 63 कापी0एक्ट थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 293/2019 धारा 174-A भा0द0वि0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1.एसटीएफ टीम प्रभारी निरीक्षक श्री घनश्याम यादव।

2.निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार त्रिपाठी एसटीएस टीम।

3.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीन कुमार यादव थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

4.व0उ0नि0 श्री यतेन्द्र कुमार यादव थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

5.उ0नि0 श्री रजनीश कुमार वर्मा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

6.हे0का0 कुलदीप सिंह एसटीएफ टीम।

7.हे0का0 दिलीप एसटीएफ टीम।

8.हे0का0 शिवभोला शुक्ला एसटीएफ टीम।

9.हे0का0 राजेश कुमार एसटीएफ टीम।

10.का0 1057 अंकुर अहलावत थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

11.चालक रईस एसटीएफ टीम।